

राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

वैशाख 20, सोमवार, शाके 1943-मई 10, 2021 Vaisakha 20, Monday, Saka 1943- May 10, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

गृह (ग्रुप-5) विभाग अधिसूचना

जयपुर, मई 10, 2021

जी.एस.आर.113 :-राजस्थान महामारी अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम संख्या 21) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.05.2020 द्वारा बनाये गये विनियम जिनका प्रकाशन राजपत्र में जी.एस.आर. संख्या 113 दिनांक 03.05.2020 हुआ है, समय-समय पर यथासंशोधित, में निम्नानुसार संशोधन करती है:-

संशोधन

उक्त विनियमों के विदयमान विनियम 7 एवं 7ए को निम्न से प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- "7. दिनांक 10 मई, 2021 से 31 मई, 2021 तक की अविध में कोई भी विवाह संबंधी आयोजन किसी मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर, धर्मशाला इत्यादि या सार्वजिनक स्थान पर आयोजित नही किया जायेगा, परन्तु इस प्रकार का आयोजिन वर या वधू के घर पर आयोजित किया जा सकेगा, ऐसे आयोजिन में कुल ग्यारह व्यक्ति सिम्मिलित हो सकेंगे एवं आयोजिक को इसकी सूचना DoIT द्वारा बनाये गये पोर्टल http://covidinfo.rajasthan.gov.in → e-intimation:MARRIAGE पर देनी होगी एवं उक्त आयोजिन के आयोजिक द्वारा यह सुनिश्चित करना होगा कि,-
 - (i) उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या ग्यारह से अधिक नहीं हो ;
 - (ii) उक्त समारोह में बैण्ड-बाजा, हलवाई, टैन्ट या अन्य किसी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया जावे एवं टैन्ट हाऊस एवं हलवाई/कैटरिंग वाले से किसी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी नहीं मंगवायी जावेगी;
 - (iii) उक्त समारोह के दौरान सामाजिक दूरी संबंधित नियमों की पालना सुनिश्चित की जावेगी;

- (iv) उक्त समारोह में शामिल होने वाला प्रत्येक व्यक्ति फेस मॉस्क (जिसमें नाक और मुंह समुचित रूप से ढंका ह्आ हो) का प्रयोग करेगा;
- (v) नो-मॉस्क नो एन्ट्री की कठोरता से पालना की जावेगी;
- (vi) उक्त समारोह में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के उपयोग हेतु सुविधा के स्थान, रैलिंग, दरवाजे के हैण्डिल को नियमित रूप से सेनिटाईज किया जावेगा;
- (vii) आयोजक उक्त कार्यक्रम की वीडियोग्रॉफी तैयार करवायेंगा एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दवारा मांगे जाने पर उपलब्ध करावेगा;
- (viii) बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, टेक्ट्रर, जीप का प्रयोग नहीं किया जावे;
- (ix) उक्त समारोह में सामूहिक भोज का आयोजन नहीं किया जावेगा।"
- 7ए. दिनांक 10 मई, 2021 से 31 मई, 2021 तक किसी भी विवाह स्थल यथा मैरिज गार्डन, होटल, सामुदायिक भवन, बारात-घर व धर्मशाला आदि के स्वामी, मैनेजर या अधिभोगी व अन्य व्यक्ति द्वारा उक्त स्थान में विवाह समारोह के आयोजन हेतु अनुमति नही दी जावेगी। "

[सख्या प.9(16)गृह-5/2020] राज्यपाल के आदेश से, रामनिवास मेहता, संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।